राज्य के कृषकों को कृषि कार्य में करोना संक्रमण से बचने हेतु दिशा–निदेश

1. फसल कटनी एवं दौनी का कार्य यथासंभव समय से पूरा किया जाय तथा इसके लिए आधिकाधिक मशीन यथा रीपर कम बाइंडर, थ्रेशर आदि का उपयोग किया जाय। हस्तचालित यंत्र तथा हँसिया आदि के उपयोग के समय दिन में कम से कम तीन बार उपकरण को साबुन पानी से अच्छी तरह धोकर संक्रमण रहित किया जाय। मशीन के चालन हैंडिल, स्टीयरिंग की विशेष सफाई की जाए।
2. फसल कटनी एवं दौनी करते समय खेत में या थ्रेशिंग फ्लोर पर एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी बनाकर रखी जाय। यह जान लें की संक्रमण रोकने के लिए ही समाजिक दूरी (Social distancing) सबसे उपयोगी हथियार है।
3. मजदूर अपने खाने का बर्तन अलग–अलग रखें तथा खाना खाने के बाद इसे अच्छी तरह धो लें। पीने के पानी का बोतल अलग–अलग रखें। प्रत्येक व्यक्ति अलग– अलग कटाई उपकरण का उपयोग करें। एक दूसरे के यंत्र को बदल–बदल कर कदापि उपयोग नहीं करें।
4. कटनी एवं दौनी के दौरान कुछ कुछ समय पर साबुन, पानी से हाथ धोते रहें।
5. कटनी एवं दौनी के समय पहने गए कपड़ों का दोबारा उपयोग धोने के बाद अच्छी तरह धूप में सूखाकर ही करें।
6. कटनी एवं दौनी के समय नाक एवं मुँह को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करें। जीविका समूह के द्वारा तैयार मास्क का उपयोग किया जा सकता है।
7. अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, सरदर्द, बुखार के लक्षण हों तो उन्हें कदापि कटाई एवं दौनी कार्य में नहीं लगायें तथा बीमार व्यक्ति की सूचना निकट के स्वास्थ्य कर्मी को दें।
8. खेत में एवं थ्रेशिंग फ्लोर पर पर्याप्त मात्रा में पानी एवं साबुन की व्यवस्था रखें।
9. सावधानी ही कोविड–19 (करोना) के संक्रमण से बचे रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करें।
10. फसल कटनी के उपरांत फसल अवशेष को जलाना नहीं है। उसका उचित प्रबंधन करें।

26.03.2020

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।